



प्रेस नोट- 22 अगस्त 2023

## उ.प्र. रेरा में नवीन रियल एस्टेट परियोजनाओं का तेजी से हो रहा पंजीयन

- : उ.प्र. रेरा में अब तक 3467 परियोजनाएँ हुई पंजीकृत
- : एन सी आर क्षेत्र में पंजीकृत कुल परियोजनाओं की संख्या 1598
- : नॉन एन सी आर क्षेत्र में पंजीकृत कुल परियोजनाओं की संख्या 1869

उ.प्र. भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण में अब तक कुल 3467 परियोजनाएँ पंजीकृत हो चुकी हैं। उ.प्र. रेरा प्रदेश के रियल एस्टेट क्षेत्र को सशक्त करने और उसे विकास की दौड़ में सबसे आगे ले जाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। एन सी आर क्षेत्र में कुल 1598 और नॉन एनसीआर क्षेत्र में कुल 1869 परियोजनाएँ पंजीकृत हुई हैं।

प्रदेश में पंजीकृत कुल 3467 परियोजनाओं में से 1411 परियोजनाएँ ऐसी हैं जो नवीन हैं और 2056 का कार्य प्रगति पर है।

नॉन एनसीआर क्षेत्र में पंजीकृत कुल 1869 परियोजनाओं में से 882 नवीन पंजीकृत परियोजनाएँ हैं और 987 परियोजनाएँ ऐसी हैं जिनका कार्य प्रगति पर है। एनसीआर क्षेत्र में पंजीकृत कुल 1598 परियोजनाओं में 529 नवीन परियोजनाएँ हैं और 1069 का कार्य प्रगति पर है।

रियल एस्टेट क्षेत्र में प्रगति शील प्रमुख जनपद गौतम बुद्ध नगर में कुल 962 परियोजनाएँ पंजीकृत हो चुकी हैं जिनमें से 671 का कार्य प्रगति पर है और 291 नवीन पंजीकृत परियोजनाएँ हैं।

गाजियाबाद में कुल 428 परियोजनाएँ पंजीकृत हो चुकी हैं जिनमें से 268 का कार्य प्रगति पर है और 160 नवीन पंजीकृत परियोजनाएँ हैं।

राजधानी लखनऊ में कुल 719 परियोजनाएँ पंजीकृत हो चुकी हैं जिनमें से 320 नवीन परियोजनाएँ पंजीकृत हुई हैं और 399 का कार्य प्रगति पर है।

उ. प्र. रेरा द्वारा प्रदेश में रियल एस्टेट क्षेत्र की परियोजनाओं का पंजीयन लगातार किया जा रहा है। उ. प्र. रेरा इस उद्देश्य के साथ निरंतर प्रयासरत है कि प्रदेश में रियल एस्टेट क्षेत्र निरंतर विकास करे और साथ ही नियमन की दिशा में और भी सशक्त बनें।

उ. प्र. रेरा अध्यक्ष श्री संजय भूसरेड्डी ने कहा कि उत्तर प्रदेश एक विशाल आबादी वाला प्रदेश है। प्रदेश को रियल एस्टेट क्षेत्र में एक संतुलित विकास और नियमन दोनों की आवश्यकता है। विकसित रियल एस्टेट क्षेत्र और सुरक्षित होम बायर्स का संतुलन चक्र परियोजनाओं के पंजीयन से ही आरंभ होता है। प्रदेश भर में कार्यरत सभी रियल एस्टेट उद्यमियों को अपनी परियोजनाओं का पंजीयन रेरा में अवश्य कराना चाहिए और प्राधिकरण के नियमों का अनुपालन कर होम बायर्स के हितों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। परियोजनाओं का पंजीयन कराकर प्रमोटर न सिर्फ होम बायर्स के हितों की रक्षा करते हैं बल्कि प्रमोटर्स स्वयं को भी नियमन के दायरे में रखकर एक सशक्त और प्रगतिशील रियल एस्टेट सेक्टर के निर्माण में अपना योगदान करते हैं।

श्री रेड्डी ने यह आशा व्यक्त की कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में और अधिक परियोजनाओं का पंजीयन संभव हो सकेगा और प्रदेश का रियल एस्टेट सेक्टर पहले से और अधिक सुदृढ़ और नियमित बन सकेगा। लगभग साढ़े तीन हजार परियोजनाओं का पंजीयन सफलता पूर्वक होना इस बात का प्रमाण है कि प्रदेश का रियल एस्टेट सेक्टर अब प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हो चुका है।

(प्रमोद कुमार उपाध्याय)  
सचिव